न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 21/2020 निर्णय दिनांक –11.06.2020

नानुराम पिता जसराज जाति कुलमी आयु वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
–प्रार्थी

//बनाम//

1. श्री प्रहलाद पिता लक्ष्मीलाल जाति पाटीदार उम्र वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. श्री शंकर पिता भैरूलाल जाति पाटीदार उम्र वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. श्री कन्हैया लाल पिता जसराज जाति पाटीदार उम्र वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. वरदीचन्द पिता परमानन्द जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
5. पवन पिता भेरूलाल जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

–विपक्षीगन

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कैली पटवार हल्का कैली तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 287 की आराजी नं0 173 रकबा 0.6300 हेक्टेयर की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 300/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा कैली पटवार हल्का कैली तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 287 की आराजी नं0 173 रकबा 0.6300 हेक्टेयर [illegible] की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की [illegible]स में पेश करें।

दिनांक 11.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with Can

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.04 15:49:09 IST
Reason: SelfAttested